

प्रेषक,

अधिषासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : /सि०नि०ख०स०/ई-निविदा/

दिनांक: 2018

विषय : अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-02/ई०ई०/2018-19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।
महोदय,

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 02/ई०ई०/2018-19 की 7-7 प्रतियाँ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि कृपया उक्त निविदा सूचना को निम्न समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।

SL. No.	Name of News Paper	Place of Publication	No. of Insertion
1	Dainik Jagran Hindi	Saharanpur	01
2	Amar Ujala Hindi	Saharanpur	01
3	Times of India	Lucknow	01

संलग्नक :- निविदा सूचना की 7 प्रतियाँ एवं सी०डी०।

अधिषासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर

पत्रांक :- /सिनिखस/निविदा/तदिनांक :

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त ई-निविदा सूचना की हार्ड कापी एवं सी०डी० सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट(<http://upgov.nic.in>) तथा उ०प्र० सिंचाई विभाग की वेबसाइट(<http://irrigation.up.nic.in>) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

अधिषासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर

पत्रांक :- (2) /सिनिखस/निविदा/तदिनाँक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (स्तर-01) पश्चिम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, औखला।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रैनेज मण्डल, गाजियाबाद (प्रस्तावित) मेरठ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, उच्च खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

संलग्नक :- ई-निविदा सूचना की प्रति।

**अधिषासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर**

पत्रांक :- (3) /सिनिखस/निविदा/तदिनाँक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया दिनाँक **16.07.2018** को उक्त कार्यालय में सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित करने का कष्ट करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
- 4- नोटिस बोर्ड।

संलग्नक:- ई-निविदा सूचना की प्रति।

**अधिषासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर**

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, सहारनपुर।**

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 02/ई0ई0/2018-19

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाये (<http://etender.up.nic.in>) के माध्यम से सिंचाई विभाग में सिविल कार्य हेतु वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 16.07.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। जो दिनांक 16.07.2018 को अपरान्ह 12:30 बजे मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर में खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में निविदाये अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदायें दिनांक 09.07.2018 की पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 16.07.2018 की पूर्वान्ह 11:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर/टेण्डर समिति का होगा।

क्र० सं० / लॉट सं०	निविदा आमंत्रण हेतु कार्य	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू० में)	धरोहर राशि (लाख रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र + स्टेनरी का मूल्य+ जी०एस०टी० (रू० में)	पंजीकृत श्रेणी
1	जनपद सहारनपुर विकास खण्ड नकुड के अन्तर्गत यमुना नदी के बांये किनारे पर स्थितग्राम रानीपुर बरसी के सुरक्षार्थ निर्मित पुराने स्टड सं० 25 की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना का कार्य	18.00	0.36	20 दिन	300+500+144 = Rs. 944.00	“सी” अथवा ऊपर
2	जनपद सहारनपुर विकास खण्ड नकुड के अन्तर्गत यमुना नदी के बांये किनारे पर स्थितग्राम रानीपुर बरसी के सुरक्षार्थ निर्मित पुराने स्टड सं० 26 की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना का कार्य	18.00	0.36	20 दिन	300+500+144 = Rs. 944.00	“सी” अथवा ऊपर
3	जनपद सहारनपुर में शाकुम्बरी राव नदी के दांये किनारे पर ग्राम शाबुददीनपुर में बाढ सुरक्षा कार्यो के अन्तर्गत 09 नग कटर्स की पुनस्थापना का कार्य।	17.00	0.34	30 दिन	300+500+144 = Rs. 944.00	“सी” अथवा ऊपर
4	जनपद सहारनपुर में विकास खण्ड सरसावा में मसकरा राव नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम धौलाहेडी में पुल के समीप 03 नग बोलडर कटर एवं टोवाल के निर्माण का कार्य।	12.00	0.24	20 दिन	225+500+131 = Rs. 856.00	“सी” अथवा ऊपर
5	जनपद सहारनपुर में विकास खण्ड सरसावा में मसकरा राव नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम नथमलपुर के अपस्ट्रीम में 03 नग बोलडर कटर एवं टोवाल के निर्माण का कार्य।	12.00	0.24	20 दिन	225+500+131 = Rs. 856.00	“सी” अथवा ऊपर
6	जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बांये किनारे पर लखनौती बन्ध के बानूखेडी स्पर संख्या-01 के अपस्ट्रीम में स्टड संख्या-01 के निर्माण का कार्य।	37.00	0.74	30 दिन	300+500+144 = Rs. 944.00	“बी” अथवा ऊपर

विषेः- धनावंटन कम प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त न होने की दशा में निविदा निरस्त की जा सकती है एवं धन प्राप्त होने पर उपलब्ध धन से तत्समय कार्य की महत्ता के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

- (1) ज्वाईट वेचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (2) निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23.12.2012-2 आडिट/08टीसी-2, दिनांक 8.6.2012 के अनुसार “10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर प्रफॉरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

- (3) यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) से डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट से ड्राईंग उपलब्ध न होने अथवा निविदा प्रपत्र में संलग्न न होने अथवा किसी भिन्नता की स्थिति में सम्बन्धित ड्राईंग/प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा कार्यालय में उपलब्ध डाक्यूमेंट ही अन्तिम एवं मान्य होंगे।
- (4) ऑनलाईन निविदा में निम्न प्रमाण पत्र तथा अन्य डॉक्यूमेंट की स्केण्ड (Scand) प्रति अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- A- सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
- B- जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0-1)।
- C- हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0-2)। साझेदारी वाली फर्म/कम्पनी होने पर साझेदारों का हैसियत प्रमाण पत्र एवं एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराईटर) फर्म के मामले में ट्रेड नेम अथवा लीगल नेम से निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- D- स्वःघोषणा शपथ पत्र (आई0डी0टी0-3), जो निविदा पत्र जारी होने की तिथि के पश्चात् जारी किया गया हो।
- E- निविदादाता/बिडर को पिछले वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में समान प्रकृति का एवं निविदा लागत के 1/3 (एक तिहाई) कार्य का सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- F- निविदादाता/बिडर को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष का निविदा लागत के 1/3 (एक तिहाई) का वार्षिक टर्न ओवर, अधिकृत चाटेर्ड एकाउन्टेन्टे द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट उपलब्ध करानी अनिवार्य है।
- G- विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगी।
- H- प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- I- निविदादाता को G.S.T पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- J- श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- K- धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में निर्धारित धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के पक्ष में बंधक होनी चाहिये।
- L- निविदा में निर्धारित निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपलब्ध कराना होगा जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर के पक्ष में देय होना चाहिये।
- M- निविदादाता द्वारा स्वयं के पंजीकरण श्रेणी के अनुरूप कार्यरत तकनीकी कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- (5) निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क का ड्राफ्ट मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16.07.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।
- (6) शासनादेश संख्या-52/1439/17-27-सिं0-3-07 विविध/17 दिनांक 09.10.2017 के क्रम में ई-टेण्डरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कॉपी व प्रतिभूति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रांजक्शन नं0 को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाली जायेगी तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।
- (7) निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होंगी।
- (8) बीजक से नियमानुसार आयकर, रायल्टी, लेबर सेस, प्रचलित टैक्स की कटौती की जायेगी तथा जी0एस0टी0 देय होगी जो ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कर उसका चालान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा एवं नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी ली जायेगी।
- (9) कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- (10) निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
- (11) निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (12) इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

- (13) यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- (14) कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- (15) राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- (16) एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा।
- (17) यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर किसी भी प्रकार का दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- (18) विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के तिथि/समय/स्थान/निविदा से सम्बन्धित अन्य किसी शर्त/विशिष्टियों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से/ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जायेगी। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व ऑनलाईन/नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस का संज्ञान अवश्य ले लें।
- (19) प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0-1, आई0डी0टी0-2, आई0डी0टी0-3, तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
- (20) सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
- (21) अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
- (22) अनुबन्ध के समय निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा।
- (23) फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि एवं समय वेबसाइट पर डाल दी जायेगी एवं उसी के अनुसार फाईनेशियल बिड ऑनलाईन खोली जायेगी।
- (24) ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर ले एवं कार्य हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री की उपलब्धता का भली-भांति आंकलन कर लें।
- (25) प्रस्तावित कार्यस्थल पर Engineer-in-charge के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- (26) Technical evaluation will be done by tender committee, comparative chart would be prepare and award of contract will be available as per financial sanction.
- (27) उपरोक्त कार्य सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगे।
- (28) सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

**अधिषासी अभियन्ता
सिंचाईनिर्माण खण्ड,
सहारनपुर।**